संख्या–1288/26–2–2010–3मु0स0/2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2010**

विषयः **उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण की प्रारम्भिक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।**

महोदय,

समस्त मण्डलायुक्त को सम्बोधित तथा समस्त जिलाधिकारियों को पृष्ठांकित पत्र संख्या–1195/26–2–2010, दिनांक 17 अप्रैल, 2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रत्येक ब्लाक के एक पंचायत का डाटा भिजवाने हेतु शासन के निर्देशों से अवगत कराया गया था। इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 द्वारा साफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है तथा सभी जनपदों के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (एन0आई0सी0 यूनिटों) को ई–मेल के माध्यम से दिनांक 20–04–2010 को उपलब्ध करा दिया गया है। अतः अनुरोध है कि पंचायत के सर्वे डाटा को इसी साफ्टवेयर में भरकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– उक्त साफ्टवेयर के प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाना आवश्यक हैः–

(i) यद्यपि जनपदों में विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों का डाटा पहले से ही इस साफ्टवेयर में मास्टर डाटा के रूप में उपलब्ध है, किन्तु उपयुक्त होगा कि जनपद स्तर पर प्रयोग करने से पहले जनपदीय समस्त मास्टर डाटा को पूर्ण रूप से चेक कर लिया जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतें आच्छादित हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाय, तो उससे एन0आई0सी0 को तथा समाज कल्याण विभाग को तुरन्त अवगत कराया जाय। साफ्टवेयर में वैसे यह व्यवस्था भी कर दी गयी है कि यदि कोई ग्राम पंचायत अथवा विकास खण्ड मास्टर डाटा में फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो उसे बढ़ाया ज़ा सकता है। अतः उपयुक्त होगा कि तीन दिन के अन्दर मास्टर डाटा की चेकिंग कर उसे अन्तिम रूप

दे दिया जाय। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि एन0आई0सी0 के इस साफ्टवेयर में ग्राम पंचायतों का नाम अंग्रेजी में ही मास्टर डाटा में रखा गया है किन्तु उन्हें यूनीकोड का प्रयोग करते हुए हिन्दी फांट में करके मास्टर डाटा में प्रयोग किया जायेगा। यह स्पष्ट करना है कि लाभार्थी की डाटा इन्ट्री यूनीकोड (Unicode) हिन्दी फांट में ही की जानी है।

(ii) डाटा इन्ट्री हेतु एजेंसी का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित एजेंसी को डाटा इन्ट्री हेतु साफ्टवेयर उपलब्ध करा दिया गया है तथा एजेंसी को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

डाटा इन्ट्री एजेंसी की चयन प्रक्रिया हेतु समिति निम्न प्रकार से होगीः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	सदस्य तकनीकी
4.	कोषाधिकारी	सदस्य
5.	अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0)	सदस्य सचिव

(iii) एजेंसी की जिम्मेदारी सही डाटा इन्ट्री की होगी, यदि कोई त्रुटियां पायी जाती है तो उसे ठीक/अद्यतन कराने की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी की होगी। इस संबंध में डाटा इन्ट्री एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह डाटा इन्ट्री के उपरान्त इसकी शुद्धता की जाँच दूसरे व्यक्ति/आपरेटर से करायें तथा जो भी गलतियां पायी जांय उन्हें पुनः सही कराया जाय। यह जाँच प्रिंट आउट लेकर की जा सकती है या दूसरे कम्प्यूटर पर सर्वे फार्म से मिलान कर की जा सकती है।

(iv) कम्प्यूटर पर डाटा इन्ट्री के कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के भुगतान की शर्त में यह व्यवस्था की जाये कि प्रत्येक डाटा इन्ट्री की त्रुटि पर दण्डात्मक जुर्माना की वसूली की जायेगी। इसलिए आवश्यक है कि वे प्रत्येक इन्ट्री का शत प्रतिशत चेकिंग करेंगे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि डाटा इन्ट्री करते समय जो क्रम संख्या अंकन हुआ है उसी का उल्लेख सर्वे फार्म में भी हो। यह इसलिये आवश्यक है कि डाटा के मिलान (reconciliation) में सरलता हो। इसके लिए यह व्यवस्था सोंची जा सकती है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्रमांक 1 से सर्वे फार्म पर नम्बरिंग स्याही से सर्वेयर द्वारा डाल दी जाय। यदि नम्बर सहित सर्वे फार्म छपवाये गये हैं तो उन नम्बरों का डाटा इन्ट्री में यथावत् प्रयोग किया जा सकता है। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि सर्वे फार्म पर सर्वे करने वाली टीम के कर्मचारियों का हस्ताक्षर अवश्य हो।

(v) लाभार्थियों से संबंधित डाटा में यदि किसी प्रकार की कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है तो उसका निराकरण जिलास्तर पर ही कराया जायेगा।

(vi) सभी जनपदों को प्रारंभिक तैयारियों एवं आवश्यक प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ग्राम विकास विभाग की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत पूर्व में ही जारी की जा चुकी है।

(vii) इस पूरी समयबद्ध प्रक्रिया के नित्य अनुश्रवण के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। समाज कल्याण विभाग की ओर से अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) इस योजना को देखेंगे।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।

पृ0सं0/1288 (1)/26–2–2010– तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0), उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक,एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त की प्रति समस्त संबंधितों को अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।